(49)

(51)

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

करेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.comवेब–साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612080/2656 35-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2023 /

दिनांक ::

श्री भंवरलाल पुत्र श्री सूरजाराम
निवासी– मण्डलनाथ चौराहा, दईजर, जोधपुर

विषयः– राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 177 / 4 / 2 रकबा 12.19.10 बीघा में से 03.04.16 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 177 / 4 / 2 रकबा 12.19.10 बीघा में से 03.04.16 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति जोन–6 (ले–आउट प्लान) की 01 / 2023 वीं बैठक दिनांक 27.02.2023 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावें।
4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।
7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

अतः पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर उपरोक्तानुसार शर्तो की पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत भूमि के ले–आउट प्लान की चार प्रतिया क्लोथ मिडिया पर प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

उप नगर नियोजक (जोन 6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2023 / 3879

दिनांक :: 01/03/23

प्रतिलिपीः– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. उपायुक्त (जोन 06), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

उप नगर नियोजक (जोन 6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 177/4/2 VILLAGEDAIJAR AT JODHPUR

SCALE:-1"=50'

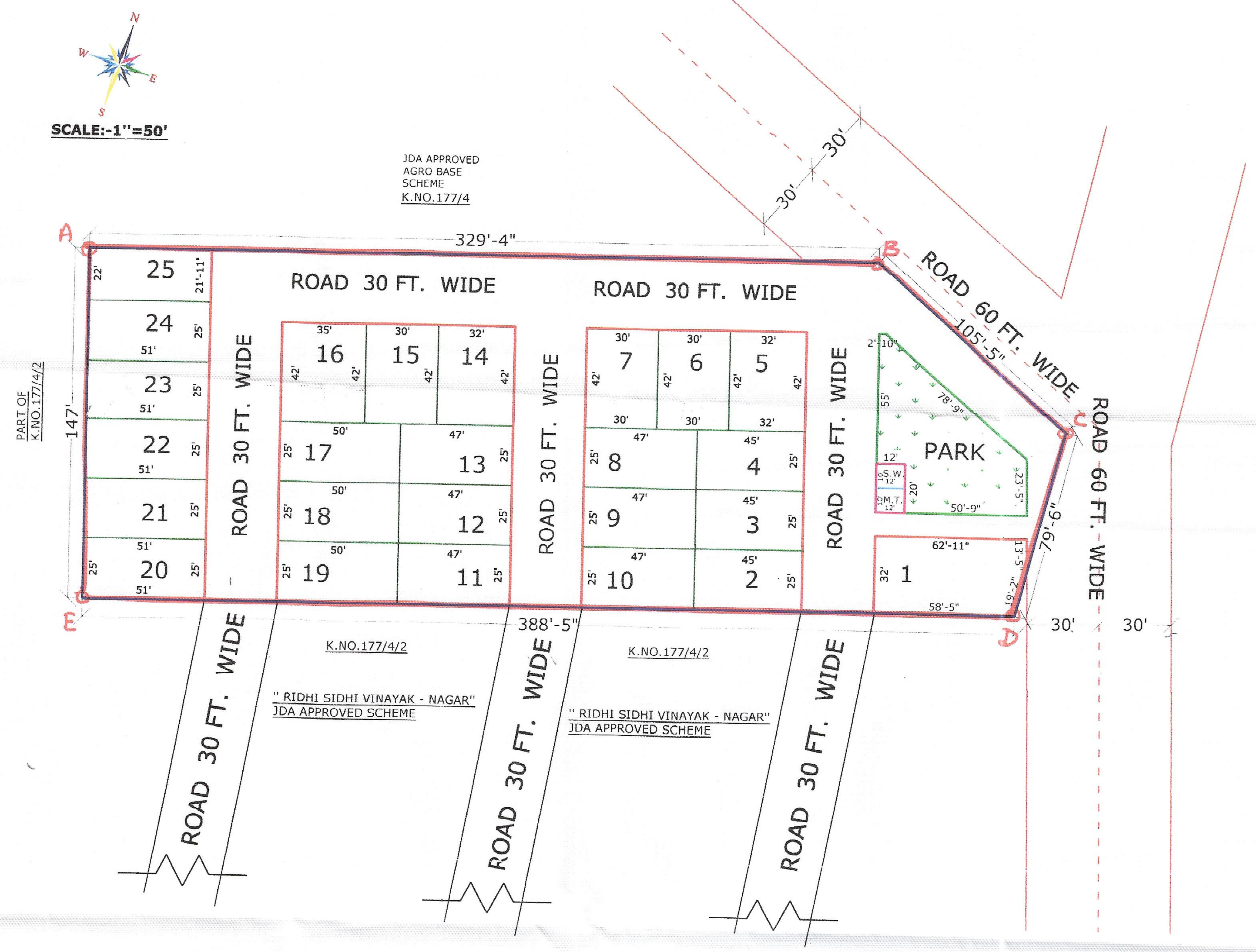

LAND USE ANALYSIS		
AREA OF	Sq. YDS	%
PLOT AREA	3509.47	55.95
PARK AREA	322.48	05.14
M.T., S.W. AREA	26.66	00.42
ROAD AREA	2414.03	38.49
TOTAL AREA	6272.64	100.00
03 BIGHA, 04 BISHWA, 16 BISHWANSI		

KEY PLAN

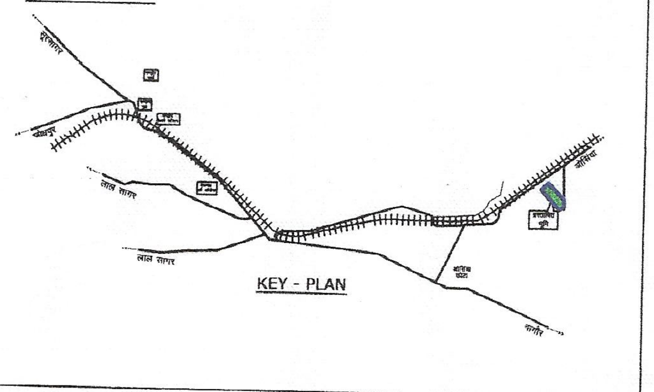

GOOGLE MAP OF KHAASRA NO. 177/4/2 VILLAGE DAIJAR AT JODHPUR

KHASRA MAP
NOT TO SCALE

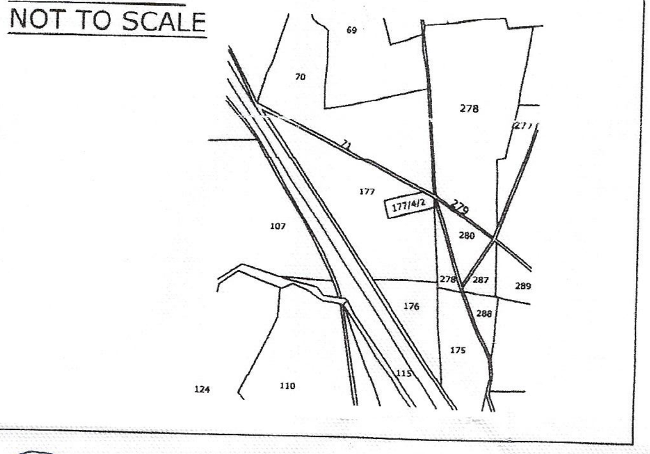

90A आवेदन क्रमांक LU2012/JOD/2022.23/1.01526
दिनांक 11.10.22 में श्रीमान उपायुक्त महोदय
(N) के आदेश दिनांक 13.10.22 की पालना में राजस्व
ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 177/4/2 12.19.10 बीघा
मेंसे 3.04.16 बीघा के प्रस्तुत ले आउट प्लान को
पटवारी हल्का मादालय द्वारा जारी प्रमाणित नक्शा
P.35 क्रमांक 1470 दिनांक 6.10.22 से मिलान कर
सीमाओं को ... से मार्क A से E किया
जाकर सुपर इम्पोज/भौतिक सत्यापन किया गया
दिनांक 27.10.22

निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

JDA/Dir(P)/Z-6/660 (B)
27/03/2023

SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/TECH./2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333

एजेण्डा संख्या 09 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन–6	दईजर	177/4/2	12.19.10 बीघा में से 03.04.16 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवरलाल पुत्र श्री सूरजाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 177/4/2 रकबा 12.19.10 बीघा में से 03.04.16 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावें। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विकय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त जोन-6
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाड़ा, जोधपुर – 342001,
ईमेल – Jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट – Joda.rajasthan.gov.in
फोन नं. – 0291-2656357 फेक्स – 0291-2612086

क्रमांक :– एफ.49/90–क/जोन–06/2025–26/(राजकाज फाईल सं. 02608) दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

भंवरलाल पुत्र सूरजाराम,
निवासी – मण्डलनाथ चौराहा, ग्राम – दईजर,
जोधपुर।

विषय :– रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत **ग्राम – दईजर के खसरा संख्या – 177/4/2 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा 16 बिस्वांसी भूमि में** आवासीय योजना मे आपके द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर प्राधिकरण स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट की अनुशंषा पर रहन रखे गये **भूखण्ड संख्या – 20, 21, 22, 25 कुल 04 भूखण्ड क्षेत्रफल 549.59 वर्गगज** को रहन मुक्त किया जाता है।

उपायुक्त (जोन–06)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.02.16 19:29:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20571289